



न्यायालय राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर ।म०प०।

पुकरण क्रमांक 18 निगरानी
PBR/निगरानी/ग्वालियर/अ.श/2018/1328

- १- इस्माईल खां पुत्र स्व० उजीरा बायु ७० व व्यवसाय सैती
- २- रज्जा क पुत्र इस्माईल खां बायु ४२ वर्ष व्यवसाय पैशा सैती
- ३- शरीफा पुत्र स्व० उजीरा बायु ५० साल व्यवसाय मजदूरी
- ४- रहीश खां पुत्र स्व० उजीरा बायु ४० साल व्यवसाय कास्तकारी, कुं ३ व ४ मुखत्या आम इस्माईल खां पुत्र उजीरा, निवासीगण ग्राम शंकरपुर परगना व जिला ग्वालिय

श्री केशव कौशिक
द्वारा आज दि० 16-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तह
दिनांक 8-3-18 नियम।

क
कले ऑफ कोर्ट
न्यायालय मण्डल म०प० ग्वालियर
16-2-18

Alauddin
16-2-18

---- आवेदकाण
बनाम

- १- इस्माईल हबी खां पुत्र स्व० हाफिज खां
- २- बिन्दू खा पुत्र बजीरा
- ३- पातामा पत्नी बजीरा खां
- ४- श्रीमती इस्लामी पत्नी अजमरी
- ५- साबू पुत्र खैटे खां
- ६- बाबू खां पुत्र खैटे खां
- ७- रुमाखा पुत्र खैटे खां
- ८- मुरे खां पुत्र खैटे खां
- ९- नव्वी पुत्र खैटे खां

समस्त निवासीगण शंकरपुर परगना व जिला ग्वालियर ।म०प०।

--- अनावेदकाण


निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प० भूराजस्व सहित विरुद्ध

आदेश दिनांक ११-१-०१८ जो नायब तहसीलदार वृत्त पुरानी
द्वारा प्र००५०-००३/सपी/16-17 में पारित किया गया है
Anwar

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1328 [उत्प्रेषण नं./दृष्टी नं.]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-2018	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11-1-18 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय का अन्तिम आदेश है, जो अपील योग्य है। आवेदकगण तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>